अध्याय 5

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड

5.1 ब्याज से आय की हानि

ऑटो स्वीप सुविधा के लिए असामान्य रूप से उच्च थ्रेसहोल्ड सीमा मान्य कर निजी बैंक को अनुचित लाभ देने के परिणामस्वरूप ₹ 3.82 करोड़ के ब्याज से आय की हानि हुई

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के अधीन प्राप्त धन को जमा करने के लिए विभिन्न बैंकों[1] में 36 अलग–अलग बैंक खाते (31 मार्च 2019 तक) खोले गये थे। कंपनी अपने बैंक खातों के लिए ऑटो स्वीप सुविधा का लाभ उठाती है, जिसके अधीन चालू बैंक खातों में एक विशेष न्यूनतम शेष राशि (अर्थात् न्यूनतम थ्रेसहोल्ड सीमा) से अधिक धनराशि को स्वतः ही सावधि जमा (एफडी) में परिवर्तित कर देती है जिस पर सावधि जमा पर प्रचलित ब्याज दर पर भुगतान किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2020) कि उक्त 36 बैंक खातों में से, कंपनी ने फरवरी 2017 से दिसंबर 2017 के दौरान एक्सिस बैंक में पाँच बैंक खाते खोले। एक्सिस बैंक में पहला बैंक खाता अगस्त 2016 में प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर खोला (फरवरी 2017) गया था तथा शेष चार बैंक खाते सितंबर 2017 से दिसंबर 2017 के दौरान बिना किसी नये प्रस्ताव के खोले गए थे। 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान अन्य बैंकों की न्यूनतम थ्रेसहोल्ड सीमा ₹ 2.00 लाख से ₹ 10.00 लाख के बीच थी, जबकि एक्सिस बैंक के लिए ऑटो स्वीप सुविधा का लाभ उठाने के लिए थ्रेसहोल्ड सीमा ₹ 15.00 करोड़ थी।

असामान्य रूप से उच्च थ्रेसहोल्ड सीमा होने के कारण एक्सिस बैंक के केवल एक खाते ने ₹ 8.84 लाख की राशि का ब्याज अर्जित किया और शेष चार बैंक खातों ने ऑटो स्वीप सुविधा पर कोई ब्याज अर्जित नहीं किया। इस प्रकार, अनुचित वित्तीय प्रबंधन के कारण कंपनी ने एक्सिस बैंक के इन पाँच खातों में जमा अपने अधिशेष कोषों पर ₹ 3.82 करोड़[2] (**परिशिष्ट 5.1** देखें) की राशि का ब्याज[3] अर्जित करने का अवसर खो दिया। कंपनी द्वारा इन तथ्यों से अवगत (सितंबर 2018) होने के बाद भी बैंक पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई जैसे कि बैंक के साथ बातचीत या बैंक खातों को बंद करना, बल्कि बैंक से थ्रेसहोल्ड सीमा घटाकर ₹ 5.00 लाख या ₹ 10.00 लाख करने का अनुरोध किया था (फरवरी 2019), जिस पर बैंक ने कोई ध्यान नहीं दिया।

सरकार ने कहा (सितंबर 2022) कि कंपनी ने सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए दो अपरिचालित बैंक खातों सहित एक्सिस बैंक में संचालित सभी सात बैंक खातों को बंद कर दिया है।

---

1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एवं देना बैंक

2 न्यूनतम थ्रेसहोल्ड सीमा ₹ 10.00 लाख मानते हुए

3 प्रचलित ब्याज दर के आधार पर गणनीत

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्य बैंकों की तुलना में कंपनी ने एक्सिस बैंक के मामले में निर्धारित असाधारण उच्च थ्रेसहोल्ड सीमा की अनदेखी की और अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को ₹ 3.82 करोड़ की ब्याज से होने वाली आय की हानि हो गई। इसके अलावा, लेखापरीक्षा (फरवरी 2020) द्वारा बताए जाने के बाद, कंपनी ने मार्च 2020 में एक्सिस बैंक में संचालित सभी बैंक खातों को बंद कर दिया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

5.2 देयकों को पारित करने में समुचित सावधानी का अभाव

वित्तीय अनौचित्य और समुचित सावधानी की कमी के परिणामस्वरूप सीजीएसटी अधिनियम के तहत अपंजीकृत ठेकेदार को ₹ 10.36 करोड़ का जीएसटी भुगतान हुआ

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (कंपनी) ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अधीन बिलासपुर क्षेत्र के लिए सामग्री की आपूर्ति और लाइनों और सबस्टेशनों के निर्माण के लिए मेसर्स फेडर्स लॉयड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली (ठेकेदार) को ₹ 202.97 करोड़[4] का कार्यादेश जारी (दिसंबर 2016) किया।

कार्यादेश जारी होने के बाद, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम और सीजीएसटी नियम, 2017 क्रमशः 1 जुलाई 2017 और 22 जून 2017 से प्रभावी हुए। सीजीएसटी अधिनियम और सीजीएसटी नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने सामग्री/उपकरण और निर्माण की शेष आपूर्ति के लिए मूल आदेश में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों (टी एंड सी) के साथ जीएसटी को सम्मिलित करते हुए ₹ 204.34 करोड़ का अनंतिम कार्यादेश जारी किया (सितंबर 2017)। तदानुसार, ठेकेदार ने जीएसटी पंजीकरण नंबर जो कि 01 जुलाई 2017 से प्रभावशील था, के साथ बिल प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि, 03 जुलाई 2017 को जीएसटी विभाग द्वारा ठेकेदार के जीएसटी पंजीकरण नंबर को स्व–प्रेरणा के आधार पर रद्द कर दिया गया था एवं ठेकेदार ने 05 अक्टूबर 2020 को नया जीएसटी पंजीकरण नंबर प्राप्त किया जिसकी देयता तिथि 14 अगस्त 2019 से प्रभावशील थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2020) कि कार्यादेश के नियम एवं शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को चल खाता देयकों के साथ करों के भुगतान के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक था; अन्यथा करों के समतुल्य राशि को देयक पास करते समय कंपनी द्वारा रोक लिया जाना था। यद्यपि, ठेकेदार ने जीएसटी देयक प्रस्तुत करना जारी रखा तथा कंपनी को करों के भुगतान के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना ही दो वर्ष से अधिक समय तक अनाधिकृत रूप से जीएसटी एकत्र किया और कंपनी भी नियम एवं शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में विफल रही और उसके द्वारा सीजीएसटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं होने के बाद भी ठेकेदार को 04 जुलाई 2017 और 13 अगस्त 2019 के दौरान जमा किए गए चल खाता देयकों पर ₹ 10.36 करोड़ (**परिशिष्ट 5.2**) के जीएसटी का भुगतान किया गया।

सरकार ने कहा (जून 2022) कि यद्यपि कार्यादेश के नियम एवं शर्तों के अनुसार देयकों के भुगतान के समय करों के भुगतान का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिये था जिसका अनुपालन नहीं किया गया, चूंकि ठेकेदार द्वारा प्रारंभ में एक वैध जीएसटी पंजीकरण नंबर प्रदान किया गया था इस कारण करयुक्त देयकों की सत्यता पर विश्वास करते हुए जीएसटी की राशि का भुगतान किया गया एवं प्रत्येक देयक के साथ पंजीकरण की वैधता की जांच संभव नहीं है। अधिनियम क्रेता पर ऐसा कोई

[4] सामग्री/उपकरण की आपूर्ति के लिए ₹ 149.97 करोड़ एवं निर्माण के लिए ₹ 53.00 करोड़

कर्त्तव्य/उत्तरदायित्व नहीं डालता है और कर भुगतान का उत्तरदायित्व देयक जारी करने वाले व्यक्ति का होता है। इसके अलावा, अगस्त 2020 में सहायक आयुक्त (राज्य कर) से ठेकेदार के जीएसटी पंजीकरण के निरस्त होने की सूचना लंबित देयकों के भुगतान को रोकने की सलाह के साथ प्राप्त हुई थी। सहायक आयुक्त (राज्य कर) से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही ठेकेदार को लंबित भुगतान नए जीएसटी नंबर के तहत जारी किया गया था। पुरानी अवधि का जीएसटी वसूल नहीं हो सका क्योंकि ठेकेदार के खिलाफ दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) 14 अगस्त 2019 को प्रारम्भ हो गई थी तथा इस तिथि के पश्चात् अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ठेकेदार से पुराने कर की वसूली संभव नहीं थी।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि जीएसटी पंजीकरण की वैध प्रति ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी अपितु केवल देयक में जीएसटी नंबर दर्शाया गया था और कंपनी ने ठेकेदार से न तो जीएसटी पंजीकरण की प्रति मांगी और न ही भुगतान करते समय प्रथम जीएसटी देयक के प्रसंस्करण हेतु समुचित सावधानी बरती, जैसा कि कार्यादेश के नियम व शर्तों के अनुपालन हेतु अनिवार्य था। कंपनी द्वारा ठेकेदार से संबंधित विभाग को उसके द्वारा किये गये करों के भुगतान के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं मांगा गया और जीएसटी के रूप में उसे ₹ 10.36 करोड़ का भुगतान कर दिया गया, इसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को उक्त राजस्व की पूर्ण हानि हो गई। इसके अलावा, पुरानी अवधि हेतु भुगतान किया गया जीएसटी भी वसूल नहीं हो सका।

रायपुर
दिनांकः 19 जून 2023

(यशवंत कुमार)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः 21 जून 2023

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक